

दूरसंचार कंपनियों द्वारा ट्राई (TRAI) के सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का वरिोध

चर्चा में क्यों?

दूरसंचार ऑपरेटरों ने कषेत्रीय नयामक TRAI द्वारा अनुशंसति सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का वरिोध कयि है । इन ऑपरेटरों का कहना है कइससे कर्ज़ में डूबे उद्योगों पर प्रतकूल प्रभाव पड़ेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने जैसा होगा ।

परमुख बदि

- भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकिरण (Telecom Regulatory Authority of India -TRAI) ने साइबर कैफे के मौजूदा नयिमों की तर्ज़ पर पब्लिक डाटा ऑफसि एग्रीगेटर (Public Data Office Aggregator -PDOA) के लयि सफिरशि की है ।
- सफिरशियों में कहा गया है कि जिस प्रकार साइबर कैफे पंजीकरण के पश्चात इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करते हैं, वैसे ही PDOA को दूरसंचार वभिग में पंजीकरण के बाद वाई-फाई इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी जाए ।
- PDOA के रूप में नई कंपनियों पछिले दौर के PCO की तरह ही पब्लिक डाटा ऑफसि (Public Data Office -PDO) खोल सकेंगी ।
- मोबाइल कंपनियों के शीर्ष संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (cellular Operators of India -COAI) के अनुसार, लाइसेंस के बनिा इंटरनेट सेवाएँ बेचने के प्रस्ताव का अर्थ है मौजूदा लाइसेंसि वयवस्था को पूरी तरह अनदेखा करना ।
- COAI के अनुसार, ये सफिरशियाँ स्पेक्ट्रम और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी नविश करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लयि नुकसानदायक हैं तथा इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है ।
- उल्लेखनीय है कि COAI अप्रैल 2017 से ही पब्लिक वाई-फाई सेवाओं के मामले में TRAI के सुझावों का वरिोध कर रही है ।